

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद-हापुड़।

पत्र संख्या :SPMU/NHM/एस०एस०वी०/हापुड़ 2018-19 / 11351

दिनांक 04.02.2019

विषय : सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिह्नित गैप्स/समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में।

महोदय,

अवगत कराना हैं कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 21 से 25 जनवरी, 2019 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बंधित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिये गये विवरण संलग्न है। कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित कियों को एवं दिये गये सुझावों के सम्बंध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवद्वीय

(पंकज कुमार)

मिशन निदेशक

तददिनांक

पत्र संख्या: SPMU/NHM/एस०एस०वी०/हापुड़/2018-19/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक प०क०, उ०प्र०, लखनऊ।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल।
3. जिला अधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, हापुड़।
4. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, मेरठ मण्डल।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, हापुड़।

(डा० पंकज सकरेना)

मण्डलीय नोडल, मेरठ सह-

महाप्रबन्धक, प०क०

जनपद हापुड़ की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण रिपोर्ट

राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, एन०एच०एम० से दो सदस्यीय भ्रमण टीम डा० पंकज सक्सेना, मण्डलीय नोडल अधिकारी, एस०एस०वी०, मेरठ मण्डल/महाप्रबंधक, प०क० एवं मनीष कुमार सोनी, कन्सल्टेंट, परिवार नियोजन, अनुभाग द्वारा जनपद हापुड़ की स्वास्थ्य इकाइयों का पॉच दिवसीय सपोर्टिंग सुपरविजन भ्रमण दिनांक 21 से 25 जनवरी, 2019 को किया गया है। भ्रमण दल के साथ जिला कार्यक्रम प्रबंधक, डी०एफ०पी०एस० एवं जिला क्वालिटी सलाहाकर भी उपस्थित थे।

बिन्दुवार आख्या निम्नवत है—

➤ पी०पी०सी० / पी०एच०सी०— पिलखुआ

अवलोकन बिन्दु	अपेक्षित सुझाव एवं सुधार	कार्यवाही स्तर
मैटरनल हेत्थ <ul style="list-style-type: none"> प्रसव कक्ष में 7 ट्रे कान्सेप्ट की समुचित व्यवस्था थी, परन्तु आवश्यक इमरजेन्सी ड्रग ट्रे में मानक अनुसार दवाएं सुनिश्चित करायी गयी। लेबर रूम की सफाई समुचित नहीं थी। हाई-रिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित नहीं की जा रही थीं। बी.एच.टी. पूरी नहीं भरी जा रही थी। पार्टौग्राफ नहीं भरा जा रहा था और ना ही तैनात स्टाफ को इसकी जानकारी थी। महिला वार्ड में प्रचार प्रसार हेतु सामग्री का समुचित प्रदर्शन नहीं किया गया था। कलर कोडेड डस्टबीन प्रयोग किये जा रहे थे एवं ब्लीचिंग पाउडर घोल का भी प्रयोग किया जा रहा था। डिलेवरी का डाटा प्रिन्टेड डिलेवरी रजिस्टर पर नहीं भरा जा रहा था व जिस रजिस्टर पर भरा जा रहा था उसमे मानक के अनुसार सभी कालम नहीं थे। प्रसव कक्ष में रखा शैडोलैम्प कार्यरत नहीं था। प्रसव कक्ष में दीवार पर टांगी गयी घड़ी बंद थी। प्रसव कक्ष में प्रोटोकॉल प्रदर्शित नहीं था। प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स एस०बी०ए० में प्रशिक्षित नहीं थी। 	<ul style="list-style-type: none"> भ्रमण दल द्वारा इमरजेन्सी ड्रग ट्रे में मानक अनुसार दवाएं सुनिश्चित करायी गयी। प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स को प्रत्येक दिन समुचित सफाई सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया। तत्काल बी.एच.टी. के सभी कॉलमों को समझा कर उनको पूर्ण रूप से भरने हेतु कहा गया ताकि भविष्य में यदि मरीज को कुछ समस्या होती है तो उसे बी.एच.टी. द्वारा सहायता दी जा सकती है। लेबर रूम स्टाफ को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के विषय में बताया गया और इसके रिपोर्टिंग से क्या लाभ है उसके विषय में बताया गया एवं हाईरिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित एवं उनका अभिलेखीकरण करने हेतु कहा गया। पार्टौग्राफ भरने की प्रशिक्षण कराई जाये। महिला वार्ड में प्रचार-प्रसार हेतु सामग्री का समुचित प्रदर्शन कराया जाये। स्टाफ नर्स को एस०बी०ए० का प्रशिक्षण कराया जाये। 	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स
चाइल्ड हेत्थ <ul style="list-style-type: none"> विटामिन-K उपलब्ध नहीं था। डिलेवरी रजिस्टर में वजन के कालम में अकिंत लो-वर्थ बेबी का फालोअप नहीं किया जा रहा है। एन०बी०एस०यू० कार्नर में 01 रेडियेन्ट वार्मर मशीन लगी थी परन्तु कार्यरत नहीं थी। प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ द्वारा बताया गया कि हेपेटाइटिस बर्थ डोज विगत 03 माह से उपलब्ध नहीं है। 	<ul style="list-style-type: none"> विटामिन K की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाये। भ्रमण दल द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे वच्चों का एच.बी०एन०सी० कार्यक्रम के माध्यम से आशा द्वारा 7 फालोअप कराना सुनिश्चित किया जाये। हेपेटाइटिस बर्थ डोज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये। 	जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व फार्मासिस्ट

फैमिली प्लानिंग

- परिवार नियोजन से सम्बन्धित आई0ई0सी0 प्रदर्शित नहीं था।
- पी.पी.आई.यू.सी.डी. इन्सर्शन रजिस्टर एवं फालोअप रजिस्टर में एम0सी0टी0एस0 नम्बर अकिंत नहीं किया जा रहा था।
- नवीन गर्भ निरोधक अन्तरा व छाया की सुविधा नहीं उपलब्ध है।
- परिवार नियोजन स्कीम से सम्बन्धित आई0ई0सी0 प्रदर्शित कराई जाये।
- भ्रमण दल द्वारा अप्रैल 2018 से रजिस्टर पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर अकिंत करने के निर्देश दिये गये।
- नवीन गर्भ निरोधक अन्तरा व छाया की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।

एच0एम0आई0एस0

- सीवीयर एनीमिया के ट्रीटमेन्ट के कालम में संख्या शून्य दर्शायी गयी थी परन्तु गर्भवती महिलाओं जिनका किहोगलोबीन 7 से कम है वहा संख्या 07 दर्शायी गयी थी। परन्तु ट्रीटमेन्ट में संख्या शून्य दर्शायी गयी थी।

डाटा वैलिडेशन समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गयी व एच0एम0आई0एस0 पोर्टल के सभी सुचकांकों पर हैन्ड होल्डिंग की गयी एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न करने के निर्देश दिये गये साथ ही साथ इनको सुधारने के निर्देश भी दिये गये।

जनपदीय नोडल फैमिली प्लानिंग व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

Bio Medical Waste Management, Cleaning Gardening & Laundry

- प्रसव कक्ष, ओ0टी0 आकस्मिक कक्ष एवं लैब के अन्दर पी.ई.पी. किट, 03 प्रकार के कलर कोडेड डस्टबीन, ब्लड स्पिल किट, पंक्चर प्रूफ कन्टेनर उपलब्ध थे।
- बायो मेडिकल वेस्ट पिट बनाया गया था।
- लैब के साथ-साथ अन्य किसी भी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत बचाव उपकरण धारण नहीं किया गया था।
- स्वास्थ्य केन्द्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नहीं है।
- स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकतर कर्मीयों ने बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट की समुचित जानकारी नहीं है।

- स्वास्थ्य केन्द्र को प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- बायो मेडिकल वेस्ट अधिनियम 2016 का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से आयोजित कराने हेतु सुझाव दिया गया।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व जिला क्वालिटी कन्सल्टेन्ट

अन्य बिन्दु

- वार्ड में रखें गये व्हील चेयर पर बहुत धूल जीम हुई थी।
- महिला शौचालय में बहुत गन्दगी थी।
- 108 वाहन के आवश्यक ड्रग लिस्ट में सिर्फ 07 ड्रग उपलब्ध थी।

शौचालय की सफाई सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

चिकित्सालय परिसर में जगह जगह Fire extinguisher लगा हुआ था परन्तु इमरजेन्सी की स्थिति में चिकित्सालय परिसर में तैनात किसी भी कर्मी को इसके प्रयोग की जानकारी नहीं थी।

भ्रमण दल द्वारा Fire extinguisher के प्रयोग हेतु Mock drill कराने हेतु निर्देश दिये गये।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

परिसर के अन्दर शिकायत पेटिका लगी थी परन्तु शिकायत निवारण कमेटी का गठन नहीं किया गया।

शिकायत निवारण कमेटी का गठन किया जाये।

प्रभारी चिकित्सा अधिकारी

➤ नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- मजीदपुरा

1. केन्द्र पर प्रसव की सुविधा उपलब्ध है, प्रसव लोड औसतन 1-2 प्रतिदिन है।
 2. केन्द्र में ओ०पी०डी० लोड औसतन 80 प्रतिदिन है।
 3. केन्द्र पर 02 स्टाफ नर्स, 08 ए०ए०ए०ए०, 01 लैब टेक्निशियन तथा 01 फार्मासिस्ट, 01 स्वीपर, 01 वार्ड आया तथा 01 सफाई कर्मी की तैनाती की गयी है।
 4. पूर्ण कालिक चिकित्सक की तैनाती की गयी है।
 5. आर०के०ए०स० का गठन हो गया है।
 6. कुल 24 शहरी आशाओं में से 24 कार्यरत है।
 7. कुल 24 महिला आरोग्य समिति का गठन हो गया है।
 8. आशा किट का क्य किया जा चुका है।
 9. केन्द्र में शिशु एवं वयस्क के वजन मापने हेतु मशीन सही कार्य नहीं कर रही थी।
 10. रेफिजरेटर कार्य कर रहा था।
 11. प्रसव केन्द्र होने के बावजूद शिशु स्वास्थ्य हेतु रेडिएन्ट वार्मर उपलब्ध नहीं था।
 12. केन्द्र पर तैनात स्टाफ नर्स ए०बी०ए० में प्रशिक्षित नहीं थी।
 13. केन्द्र पर तैनात चिकित्सा अधिकारी व स्टाफ नर्स पी०पी० आई०य०सी०डी० एवं गर्भनिरोध इंजेक्शन(अन्तरा) में प्रशिक्षित होने के बावजूद उक्त दोनों सेवाओं की सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है।
 14. भ्रमण दल द्वारा केन्द्र के स्टाफ के साथ वार्ता के दौरान पाया कि यू०ए०च०ए०न०डी० की जानकारी नहीं है।

❖ उक्त के सम्बन्ध में भ्रमण दल द्वारा ए०य०ए०च०ए० इकाई के जिला समन्वयक ए०य०ए०च०ए० नोडल/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी को गुणवत्ता एवं अपेक्षित सुधार के आशय से अवगत कराया गया।

➤ ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (वी०एच०एन०डी०), सत्र का भ्रमण :-

- ग्राम— अली मुद्दीन की बैठक
 - ए०एन०एम० सीमा शर्मा एवं आशा कार्यकर्त्री मीनू तोमर वी०एच०एन०डी० सत्र पर उपस्थित थीं।
 - ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का बैनर सत्र स्थल पर लगा नहीं पाया गया।
 - टीकारण सम्बन्धी संदेश दिये जा रहे थे।
 - शिशु के वजन मापने की मशीन व वयस्क के वजन मापने की मशीन उपलब्ध थी।
 - एम०सी०टी०एस० कार्ड पर एम०सी०टी०एस० न० अंकित नहीं था।
 - परिवार नियोजन का साधन जैसे कोन्डम, ओरल पिल्स इत्यादि उपलब्ध थे।
 - ड्यू लिस्ट केन्द्र पर उपलब्ध नहीं थी।
 - ओ०आर०एस० एवं जिंक टेबलेट उपलब्ध थी।
 - किशोरियों हेतु सेनेटरी नैपकीन नहीं था।
 - केन्द्र पर प्रचार प्रसार की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी।
 - भ्रमण के दौरान अभी तक कुल 03 गर्भवती महिलाओं को सेवा दी गयी थी।
 - गृह भ्रमण के दौरान पाया गया कि प्रसूताओं को परिवार नियोजन के सम्बंध में आशा एवं ए०एन०एम० द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही है।

अवलोकन बिन्दु	अपेक्षित सुझाव एवं सुधार	कार्यवाही स्तर
मैटरनल हेल्थ		
<ul style="list-style-type: none"> लेबर रूम की सफाई समुचित थी। हाई-रिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित नहीं जा रही थीं। बी.एच.टी./केसशीट पूरी नहीं भरी जा रही थी। प्रसव कक्ष में पल्स ऑक्सी मीटर, डापलर एवं पी0पी0एच0 किट नहीं था। वाश वेसिन में एलबो टैप नहीं लगा था। महिला वार्ड में प्रचार प्रसार हेतु सामग्री का समुचित प्रदर्शन नहीं किया गया था। लेबर टेवल पर कैलिसपैड नहीं था। ब्लीचिंग पाउडर घोल का प्रयोग किया जा रहा था। डिलेवरी का डाटा जिस रजिस्टर पर भरा जा रहा था उसमे मानक के अनुसार सभी कालम नहीं थे। 	<ul style="list-style-type: none"> तत्काल बी.एच.टी. के सभी कॉलमों को समझा कर उनको पूर्ण रूप से भरने हेतु कहा गया ताकि भविष्य में यदि मरीज को कुछ समस्या होती है तो उसे बी.एच.टी. द्वारा सहायता दी जा सकती है। महिला वार्ड में प्रचार-प्रसार हेतु सामग्री का समुचित प्रदर्शन कराया जाये। महिला वार्ड में समुचित प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाये। मानक अनुसार रजिस्टर उपलब्ध कराया जाये। प्रसव कक्ष से सम्बन्धित समस्त उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाये। 	अधीक्षक /बी0पी0एम0/ एच0ई0ओ0/ जिला क्वालिटी कन्सल्टेन्ट व प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स
चाइल्ड हेल्थ		
<ul style="list-style-type: none"> विटामिन-K उपलब्ध नहीं था। डिलेवरी रजिस्टर में वजन के कालम में अकिंत लो-वर्थ बेबी का फालोअप नहीं किया जा रहा है। एच0आर0जी0 लिस्ट उपलब्ध नहीं था। प्रसव के उपरान्त बी0सी0जी बर्थ डोज को नहीं दिया जा रहा है। एन0बी0एस0यू0 कार्नर में रेडियन्ट वार्मर मशीन लगी थी परन्तु कार्यरत नहीं थी। 	<ul style="list-style-type: none"> विटामिन K की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाये। भ्रमण दल द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे वच्चो का एच.बी0एन0सी0 कार्यक्रम के माध्यम से आशा द्वारा 7 फालोअप कराना सुनिश्चित किया जाये। एच0आर0जी0 लिस्ट बनाया जाये। बी0सी0जी बर्थ डोज सुनिश्चित की जाये। रेडियन्ट वार्मर की तत्काल मरम्त करायी जाये। 	जिला प्रतिरक्षण अधिकारी/अधीक्षक /बी0पी0एम0
फैमिली प्लानिंग		
<ul style="list-style-type: none"> कन्डोम बॉक्स लगे थे। नवीन गर्भ निरोधक अन्तरा एवं छाया से सम्बन्धित पी.पी.आई.यू.सी.डी. इन्सर्शन रजिस्टर एवं फालोअप रजिस्टर में एम0सी0टी0एस0 नम्बर अकिंत नहीं किया जा रहा था। नवीन गर्भ निरोधक अन्तरा व छाया की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु आई0ई0सी0 प्रदर्शित नहीं था। एफ0डी0एस0 का आयोजन शत प्रतिशत नहीं किया जा रहा है। 	<ul style="list-style-type: none"> नवीन गर्भ निरोधक से सम्बन्धित आई0ई0सी0 प्रदर्शित कराई जाये। भ्रमण दल द्वारा अप्रैल 2018 से रजिस्टर पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर अकिंत करने के निर्देश दिये गये। एफ0डी0एस0 शत प्रतिशत आयोजित की जाये। 	जनपदीय नोडल फैमिली प्लानिंग/अधीक्षक व बी0पी0एम0
आर0के0एस0के0 कार्यक्रम		
<ul style="list-style-type: none"> किशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत निशुल्क सेनेटरी नैपकीन के वितरण का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। प्राप्त फिडबैक के अनुसार सेनेटरी नैपकीन को ए0बी0एस0ए0 को प्राप्त करा दिया जाता है एवं उन्हीं के द्वारा वितरण भी किया जाता है। 	सेनेटरी नैपकीन के वितरण का अनुश्रवण सुनिश्चित की जाये।	अधीक्षक /बी0पी0एम0/ एच0ई0ओ0/ डी0ई0आई0सी0 मैनेजर

आरोबी०एस०के० कार्यक्रम

- कुल दो आरोबी०एस०के० दल कार्यरत है। भ्रमण के दिन दल के सभी कर्मी हड्डताल पर थे जिसके कारण उनसे सम्पर्क नहीं हो सका।

जनपदीय नोडल
एवं अधीक्षक

कम्युनिटी प्रोसेस

- कुल 182 आशाओं के सापेक्ष कुल 169 आशाओं का ही चयन किया गया है।
- तीसरे चरण के माड्यूल 6-7 का प्रशिक्षण सीफ 147 आशाओं को ही प्राप्त है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में आरोके०एस० की मात्र 02 बैठक ही आयोजित करायी गयी है।
- प्रति आशा औसत प्रति माह भुगतान रु 3100/- है।
- आशा डायरी, आशा संगनी रजिस्टर, पेमेन्ट बाउचर सभी आशाओं को उपलब्ध करा दिये गये हैं।
- कुल वी०एच०एस०एन०सी० खाता 57 के सापेक्ष 57 आशाओं के ही खाते खोले गये हैं।

- शेष आशाओं का चयन शीघ्र सुनिश्चित की जाये।
- आरोके०एस० की बैठक प्रत्येक माह करायी जाये।

अधीक्षक
/बी०सी०
पी०एम०/ डी०सी०
पी०एम०

Bio Medical Waste Management, Cleaning Gardening & Laundry

- स्वास्थ्य केन्द्र प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत नहीं है।
- स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकतर कर्मीयों को बायो मेडिकल बेस्ट मैनेजमेन्ट की समुचित जानकारी नहीं है।
- बायो मेडिकल बेस्ट लाग बुक उपलब्ध है परन्तु समुचित नहीं भरा जा रहा है।

- स्वास्थ्य केन्द्र को प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- बायो मेडिकल बेस्ट का लाग बुक भरा जाना सुनिश्चित किया जाये।

अधीक्षक व
जिला क्वालिटी
कन्सल्टेन्ट

आपरेशन कक्ष

- वाश वेसिन में एलबो टैप नहीं लगा था।
- ओ०टी में रखें सैडो लैम्प का बल्ब खराब था।
- आवश्यक औषधियाँ नहीं थी।

- वाश वेसिन में एलबो टैप लगाना सुनिश्चित की जाये।
- सैडो लैम्प की मरम्मत कराना सुनिश्चित की जाये।

अधीक्षक
/बी०पी०एम०

अन्य बिंदु

चिकित्सालय परिसर में जगह जगह Fire extinguisher लगा हुआ था परन्तु इमरजेन्सी की स्थिति में चिकित्सालय परिसर में तैनात किसी भी कर्मी को इसके प्रयोग की जानकारी नहीं थी।

भ्रमण दल द्वारा Fire extinguisher के प्रयोग हेतु Mock drill कराने हेतु निर्देश दिये गये।

अधीक्षक व जिला
क्वालिटी
कन्सल्टेन्ट

वार्ड में परिवर नियोजन सम्बंधित प्रचार-प्रसार प्रदर्शित नहीं था।

अधीक्षक

वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 400 के सापेक्ष 359 चश्मे का वितरण किया गया है।

अधीक्षक

एक्स-रे, डेन्टल ओ०पी०डी० की भी सुविधा उपलब्ध है।

➤ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र – हापुड़

अवलोकन बिन्दु	अपेक्षित सुझाव एवं सुधार	कार्यवाही स्तर
मैट्रनल हेल्थ		
<ul style="list-style-type: none"> हाई-रिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित नहीं की जा रही थीं। बी.एच.टी./केसशीट पूरी नहीं भरी जा रही थी। पार्टोग्राफ नहीं भरा जा रहा था और ना ही तैनात स्टाफ को इसकी जानकारी थी। पल्स ऑक्सी मीटर एवं पी0पी0एच0 किट नहीं था। महिला वार्ड में प्रचार प्रसार हेतु सामग्री का समुचित प्रदर्शन नहीं किया गया था। लेबर टेवल पर मैकेन्टॉस, कैलिसपैड उपलब्ध था। ब्लीचिंग पाउडर घोल का प्रयोग किया जा रहा था। डिलेवरी का डाटा जिस रजिस्टर पर भरा जा रहा था उसमे मानक के अनुसार सभी कालम नहीं थे। समस्त प्रोटोकॉल प्रदर्शित थे। 	<ul style="list-style-type: none"> तत्काल बी.एच.टी. के सभी कॉलमों को समझा कर उनको पूर्ण रूप से भरने हेतु कहा गया ताकि भविष्य में यदि मरीज को कुछ समस्या होती है तो उसे बी.एच.टी. द्वारा सहायता दी जा सकती है। लेबर रूम स्टाफ को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के विषय में बताया गया और इसके रिपोर्टिंग से क्या लाभ है उसके विषय में बताया गया एवं हाईरिस्क प्रेगनेंसी चिन्हित एवं उनका अभिलेखीकरण करने हेतु कहा गया। पार्टोग्राफ भरने की प्रशिक्षण कराई जाये। महिला वार्ड में प्रचार-प्रसार हेतु सामग्री का समुचित प्रदर्शन कराया जाये। डिलेवरी टेबल की तत्काल पेंटिंग व मरम्मत करायी जाये। 	अधीक्षक /बी0पी0एम0/ एच0ई0ओ0/ जिला क्वालिटी कन्सल्टेन्ट व प्रसव कक्ष में तैनात स्टाफ नर्स
चाइल्ड हेल्थ		
<ul style="list-style-type: none"> विटामिन-K उपलब्ध नहीं था। डिलेवरी रजिस्टर में वजन के कालम में अकिंत लो-वर्थ बेबी का फालोअप नहीं किया जा रहा है। एच0आर0जी0 लिस्ट उपलब्ध नहीं था। एन00बी0एस0यू0 कक्ष मे 04 रेडियन्ट वार्मर, 01 फोटोथेरेपी मशीन एवं 01 सक्षण मशीन थी, जो कार्यरत थी। 	<ul style="list-style-type: none"> विटामिन K की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाये। भ्रमण दल द्वारा निर्देशित किया गया कि ऐसे बच्चों का एच.बी0एन0सी0 कार्यक्रम के माध्यम से आशा द्वारा 7 फालोअप कराना सुनिश्चित किया जाये। एच0आर0जी0 लिस्ट बनाया जाये। 	जिला प्रतिरक्षण अधिकारी/ अधीक्षक /बी0पी0एम0
फैमिली प्लानिंग		
<ul style="list-style-type: none"> कन्डोम बॉक्स नहीं लगे थे। पी.पी.आई.यू.सी.डी. इन्सर्शन रजिस्टर एवं फालोअप रजिस्टर में एम0सी0टी0एस0 नम्बर अकिंत नहीं किया जा रहा था। नवीन गर्भ निरोधक अन्तरा की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु आई0ई0सी0 प्रदर्शित नहीं था। 	<ul style="list-style-type: none"> नवीन गर्भ निरोधक से सम्बन्धित आई0ई0सी0 प्रदर्शित कराई जाये। भ्रमण दल द्वारा अप्रैल 2018 से रजिस्टर पर एम0सी0टी0एस0 नम्बर अकिंत करने के निर्देश दिये गये। 	जनपदीय नोडल फैमिली प्लानिंग/ अधीक्षक बी0पी0एम0
आर0के0एस0के0 कार्यक्रम		
<ul style="list-style-type: none"> किशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत निशुल्क सेनेटरी नैपकीन के वितरण का अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। प्राप्त फिडबैक के अनुसार सेनेटरी नैपकीन को ए0बी0एस0ए0 को प्राप्त करा दिया जाता है एवं उन्हीं के द्वारा वितरण भी किया जाता है। 	सेनेटरी नैपकीन के वितरण का अनुश्रवण सुनिश्चित की जाये।	अधीक्षक /बी0पी0एम0/ एच0ई0ओ0/ डी0ई0आई0सी0 मैनेजर
आर0बी0एस0के0 कार्यक्रम		
<ul style="list-style-type: none"> कुल दो आर0बी0एस0के0 दल कार्यरत हैं। भ्रमण के दिन दल के सभी कर्मी हड्डताल पर थे जिसके कारण उनसे सम्पर्क नहीं हो सका। 		अधीक्षक

कम्युनिटी प्रोसेस

● कुल 280 आशाओं के सापेक्ष कुल 260 आशाओं का ही चयन किया गया है।	● शेष आशाओं का चयन शीघ्र सुनिश्चित की जाये।	अधीक्षक /बी0सी0 पी0एम0/डी0सी0 पी0एम0
● वर्तमान वित्तीय वर्ष में आर0के0एस0 की मात्र 04 बैठक ही आयोजित करायी गयी है।	● आर0के0एस0 की बैठक प्रत्येक माह करायी जाये।	
● प्रति आशा औसत प्रति माह भुगतान रु 2800/- है।		
● आशा डायरी, आशा संगनी रजिस्टर, पेमेन्ट बाउचर सभी आशाओं को उपलब्ध करा दिये गये हैं।		
● कुल 103 वी0एच0एस0एन0सी0 के खाते खोले गये हैं।		

Bio Medical Waste Management, Cleaning Gardening & Laundry

● लैब के साथ-साथ अन्य किसी भी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत बचाव उपकरण धारण नहीं किया गया था।	● लैब हेतु समुचित मात्रा में पी.पी.ई. क्रय किये जाने तथा बायो मेडिकल वेस्ट अधिनियम 2016 का प्रशिक्षण आवश्यक रूप से आयोजित कराने हेतु सुझाव दिया गया।	अधीक्षक व जिला क्वालिटी कन्सल्टेन्ट
● स्वारथ्य केन्द्र के अधिकतर कर्मीयों को बायो मेडिकल बेस्ट मैनेजमेंट की समुचित जानकारी नहीं है।	● बायो मेडिकल बेस्ट लाग बुक उपलब्ध है परन्तु समुचित नहीं भरा जा रहा है।	
● बायो मेडिकल बेस्ट लाग बुक उपलब्ध है परन्तु समुचित नहीं भरा जा रहा है।	● बायो मेडिकल बेस्ट का लाग बुक भरा जाना सुनिश्चित किया जाये।	
● क्लीनिंग एवं गार्डनिंग का कार्य किया जा रहा है।		

आपरेशन कक्ष

● हाइड्रोलिक ओ0टी0 टेबल नहीं है।	● हाइड्रोलिक ओ0टी0 टेबल उपलब्ध कराई जाये।	अधीक्षक व जिला क्वालिटी कन्सल्टेन्ट
● ओ0टी में रखें सैडो लैम्प का बल्ब खराब था।	● सैडो लैम्प का बल्ब को बदला जाये।	

अन्य बिंदु

विगत 15 दिन से रेबीज का टीका उपलब्ध नहीं है।	रेबीज टीके की उपलब्धता सुनिश्चित किया जायें।	अधीक्षक
एक्स-रे, अल्ट्रासाउण्ड एवं सिटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, परन्तु एक्स-रे कक्ष के डार्करूम में काफी गंदगी थी।	एक्स-रे कक्ष के डार्करूम की सफाई कराना सुनिश्चित किया जाये।	अधीक्षक
चिकित्सालय परिसर में जगह जगह Fire extinguisher लगा हुआ था परन्तु इमरजेंसी की स्थिति में चिकित्सालय परिसर में तैनात किसी भी कर्मी को इसके प्रयोग की जानकारी नहीं थी।	भ्रमण दल द्वारा Fire extinguisher के प्रयोग हेतु Mock drill कराने हेतु निर्देश दिये गये।	अधीक्षक व जिला क्वालिटी कन्सल्टेन्ट
प्रसव कक्ष के समीप लकड़ी की सीढ़ी रखी गयी थी, जिस पर काफी धूल जीम हुई थी, जिसके कारण इन्फेक्शन की सम्भावना बनी रहती है।	भ्रमण दल द्वारा तत्काल सीढ़ी को हटवाया गया।	अधीक्षक
परिसर के अंदर अवस्थित महिला व पुरुष शौचालय में काफी गन्दगी थी।		अधीक्षक

दिनांक 23.01.2019 को मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी आर0सी0एच0, जिला कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला लेखा प्रबंधक के साथ बैठक किया गया। बैठक में भौतिक एवं वित्तीय प्रोग्रेस के साथ जनपद स्तर पर वर्ष 2018-19 में उपयोग हेतु कमिटेड करायी गयी धनराशि पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गयी व भ्रमण में पायी गयी निम्न कमियों से अवगत कराया गया:-

- अन्तरा से सम्बन्धित प्रचार प्रसार एवं दिवार लेखन किसी भी चिकित्सालय में नहीं पाया गया।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत एफडी0एस0 की सुविधा सुनिश्चित कराने हेतु एफ0एम0आर0 कोड 18.18 के सम्बंध में चर्चा की गयी।

- जिला कम्युनिटी प्रोसेस प्रबंधक के सहयोग से परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद के समस्त ब्लाकों के अन्तर्गत प्राविधानित आशा की अर्द्धवार्षिक उन्नमुखीकरण, ए०एन०एम० एवं आंगनवाड़ी कार्यक्रियों के साथ त्रैमासिक समीक्षा शत प्रतिशत सुनिश्चित हो।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य द्वारा प्राप्त DAP एवं समस्त कमिटेड धनराशि का व्यय अपने निर्धारित भौतिक लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत नियमतः व्यय किए जाने के लिए मदवार जिम्मेदारी सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को समय पर पूर्ण कराने हेतु अनुरोध किया गया।
- बैठक के दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि माह दिसम्बर के SOE के अनुसार जनपद की ०५वीं रैंक परिलक्षित हुई है।

भ्रमण के उपरान्त जनपद के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया तथा उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि इकाईवार पायी गयी कमियों के साथ अन्य सभी स्वास्थ्य इकाईयों पर भी सुधारात्मक कार्यवाही की जायेगी।

पत्रांक—SPMU/NHM एस०एस०वी० / हापुड 2018-19 / २२८

तददिनांक—०४/०२/२०१९

प्रतिलिपि—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के साथ सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध हेतु।

1. समस्त सम्बन्धित एस०पी०एम०यू०, अनुभाग।
2. अपर निदेशक, मेरठ मण्डल, मेरठ को इस आशय से कि उक्त बिन्दुओं में जनपद आजमगढ़ में आपेक्षित सुधार एवं प्रतिमाह राज्य स्तर से गठित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण दल के साथ एन०एच०एम० में संविदा पर कार्यरत विभिन्न-विभिन्न कार्यक्रमों के मण्डल स्तरीय सलाहकार/समन्वयकों/प्रबन्धक को पर्यवेक्षण भ्रमण में कार्यक्रम की गुणवत्ता हेतु शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करायेगे।
3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, हापुड।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी/सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति/समस्त उप/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, हापुड।
5. समस्त ब्लाक प्रभारी/अधीक्षक, हापुड।
6. समस्त एन०एच०एम० जनपद स्तरीय प्रबन्धक/सलाहकार/समन्वयक आदि हापुड।
7. समस्त एच०ई०ओ०/ए०आर०ओ०/बी०पी०एम०यू० तथा सम्बन्धित पैरामेडिकल स्टाफ हापुड।


 (मनीष कुमार सोनी)
 (कन्सल्टेंट, परिवार नियोजन)


 (डा० पंकज सक्सेना)
 (महाप्रबंधक, प०क०)

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
19-ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
जनपद—हापुड़।

पत्र संख्या : SPMU/NHM/एस०एस०वी०/हापुड़ 2018-19/

दिनांक ०४.०२.२०१९

विषय : सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा चिन्हित गैप्स/समस्याओं के निराकरण के सम्बंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य स्तरीय सहयोगात्मक पर्यवेक्षण टीम द्वारा दिनांक 21 से 25 जनवरी, 2019 के मध्य आपके जनपद में चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किये जाने के उद्देश्य से भ्रमण किया गया था।

भ्रमण दल द्वारा चिकित्सा इकाईयों पर प्रदान की जा रही सेवाओं में सुधार लाने हेतु सुझाव सम्बंधित इकाईयों के प्रभारियों तथा जनपदीय टीम को दिये गये विवरण संलग्न है। कृपया भ्रमण दल द्वारा इंगित कियोंगों को एवं दिये गये सुझावों के सम्बंध में कृत कार्यवाही से शीघ्र ही अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्र संख्या: SPMU/NHM/एस०एस०वी०/हापुड़/2018-19/ 11351-6

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक प०क०, उ०प्र०, लखनऊ।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ मण्डल।
3. जिला अधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, हापुड़।
4. समस्त महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, मेरठ मण्डल।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, हापुड़।

(डा० पंकज सक्सेना)
मण्डलीय नोडल, मेरठ सह—
महाप्रबन्धक, प०क०